निर्णय बइजलास काना राम आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

प्रकरण संख्या 03/2026 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन) जीसीएमएस नं0 2026/46

इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स कोर्पोरेशन लिमिटेड ....प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री मुकेश सेन जाति नाई निवासी ग्राम व पो0 सती का तलावडा तह0 खण्डार जिला सवाई माधोपुर
   अन्य पता – ग्राम पंचायत तलावडा पंचायत समिति व तह0 खण्डार जिला सवाई माधोपुर
2. श्री मुकेश सेन पुत्र श्री रामभरोसी सेन जाति नाई निवासी ग्राम व पो0 सती का तलावडा तह0 खण्डार जिला सवाई माधोपुर (राज0)
   अन्य पता – ग्राम पंचायत तलावडा पंचायत समिति व तह0 खण्डार जिला सवाई माधोपुर

..........अप्रार्थी/ऋणी

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

–:: आदेश ::–

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 18.10.2023 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री मुकेश सेन जाति नाई निवासी ग्राम व पो0 सती का तलावडा तह0 खण्डार जिला सवाई माधोपुर की सम्पत्ति पट्टा नं. 05, मिसल संख्या 05, बहक मुकेश सेन पुत्र श्री रामभरोसी सेन, ग्राम तलावडा ग्राम पंचायत तलावडा पंचायत समिति खण्डार जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में फुलजी का मकान, पश्चिम में घनश्याम का मकान, उत्तर में आम रास्ता व दक्षिण में पिन्टु गुर्जर का मकान है, जिसका क्षेत्रफल 177.77 वर्ग गज है, को बंधक रखकर 5,18,800/–(पांच लाख अठारह हजार आठ सौ रूपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 12.05.2025 (प्रेषण दिनांक 16.05.2025) को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के साथ ही दिनांक 03.06.2025 को समाचार पत्र में साया करवाये जाने के बावजूद बकाया ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. अप्रार्थी ऋणी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान किये जाने हेतु समय दिये जाने बाबत निवेदन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बहस के दौरान ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान किये जाने के संबंध में समय चाहा गया।
3. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि तथा अप्रार्थी को सुना। पत्रावली का भलीभॉति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 12.05.2025 (प्रेषण दिनांक 16.05.2025) को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने साथ ही दिनांक 03.06.2025 को समाचार पत्र में साया करवाया गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नही किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है किन्तु न्यायहित मे अप्रार्थी को बैंक ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान किये जाने हेतु 12 सितम्बर 2026 (चार माह) तक का समय दिया जाता हैं। यदि अप्रार्थी द्वारा नियत समयावधि तक बैंक ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नही किया जाता है तो अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति पट्टा नं. 05, मिसल संख्या 05, बहक मुकेश सेन पुत्र श्री रामभरोसी सेन, ग्राम तलावडा ग्राम पंचायत तलावडा पंचायत समिति खण्डार जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में फुलजी का मकान, पश्चिम में घनश्याम का मकान, उत्तर में आम रास्ता व दक्षिण में पिन्टु गुर्जर का मकान है, जिसका क्षेत्रफल 177.77 वर्गगज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने हेतु स्वतंत्र है।
5. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्रार्थी बैंक/अप्रार्थी ऋणी को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
6. आदेश आज दिनांक 13·5·2026 को सुनाया गया।

(काना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner